बिहार सकरार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०2/02-04/2014 /25 पटना, दिनांक- 18.09.14

प्रेषक,

पंकज कुमार,

सचिव,

सेवा में,

वरीय अनुसंधान पदाधिकारी(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया, सारण, सिवान, सीतामढ़ी, शेखपुरा एवं पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए अतिरिक्त आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि रू० 25,78,000 (पच्चीस लाख अठत्तर हजार) रूपये मात्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-687 दिनांक-24.07.2014 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2014 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक-23.07.2014 को स्वीकृति प्रदान की है। तत्पश्चात विधि विभाग ने बिहार विनियोग अधिनियम 2014 को अधिसूचना संख्या-एल0 जी0-1-09/2014: लेज 82 एवं 83 दिनांक-24.07.2014 द्वारा अधिसूचित किया हैं।

2. कंडिका-1 के आलोक में वित्त विभाग ने 31 मार्च 2015 के अवधि के लिए बजट में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की है।

3. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष- केन्द्रीय योजनागत योजना, उप शीर्ष- 0409-फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित योजना शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-S/3454022040409 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 7 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध

तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंब्न, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
9. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-687 दिनांक-24.07.2014 एवं पत्रांक-253 दिनांक 11.03.2014 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
10. स्वीकृत्यादेश संख्या-1014 दिनांक-17.07.2014 द्वारा फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित योजनान्तर्गत सृजित पदों का अवधि विस्तार एवं योजना की स्वीकृति के आलोक में नियमानुसार आबंटित राशि को वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय किया जायेगा।

विश्वासभाजन

17/9/2014

(पंकज कुमार)

सचिव

17.9.14

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष–3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष–केन्द्रीय योजनागत योजना, उप शीर्ष–0409–फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित योजना शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में राशि की अतिरिक्त आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०–35 एवं विपत्र कोड–**S/3454022040409** है।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01–01 वेतन	01–03 जीवन यापन भत्ता	01–04 मकान किराया भत्ता	01–05 परिवहन भत्ता	01–06 चिकित्सा भत्ता	01–07 अन्य भत्ता	योग–वेतन एवं भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	600000	600000	120000	8000	5000	–	1333000
जिला सांख्यिकी कार्यालय								
2	गया	20000	3000	–	–	–	–	23000
3	सारण	40000	40000	5000	–	800	–	85800
4	सिवान	50000	50000	5000	–	800	–	105800
5	सीतामढ़ी	110000	110000	11000	–	800	–	231800
6	शेखपुरा	110000	110000	11000	–	800	–	231800
7	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	400000	148000	18000	–	800	–	566800
कुल योग		1330000	1061000	170000	8000	9000	0	2578000

(पच्चीस लाख अठत्तर हजार) रूपये मात्र

17/9/14

सचिव

D:\Raju\Stablisment-2\Binod sir\Budget\ICS, 2 Allotment 14 -